चलचित्र अधिनियम 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 37)[1]

[21 मार्च,1952]

चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन केलिए प्रमाणन तथा चलचित्रों के ज़रिए प्रदर्शनों को विनियमित करने हेतु उपबन्ध तैयार करने के लिए अधिनियम संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

भाग 1

प्रारंम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारंभ** – (1)इस अधिनियम को चलचित्र अधिनियम,1952 कहा जाता है ।

(2) भाग 1, 2 और 4 का विस्तार [2]*** सम्पूर्ण भारत पर है तथा भाग 3 का विस्तार केवल [3][संघ राज्य क्षेत्रों]पर है

(3) यह अधिनियम उस तारीख[4] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्र सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

[5][परन्तु भाग 1 और भाग 2 का जम्मु–कश्मीर राज्य में प्रवर्तन,चलचित्र (संशोधन) अधिनियम 1973 (1973 के 25) के प्रारम्भ के पश्चात, उसी तारीख को होगा जिसे केन्द्र सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।]

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "वयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपना अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया हो;

[6][(ख) बोर्ड से धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड अभिप्रेत है;]

[7][(खख) "प्रमाणपत्र" से धारा 5क के अधीन बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;]

(ग) चलचित्र के अन्तर्गत चलचित्रों या चित्रावलियों का प्रदर्शन करने वाला उपकरण भी है

(घ) प्रेसिडेंसी नगर के संबंध में किसी "जिला मेजिस्ट्रेट" से पुलीस आयुक्त अभिप्रेत है

[8][घघ) "फिल्म" से चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है

(ङ) "स्थान" के अन्तर्गत गृह,भवन,टेंट और प्रत्येक परिवहन है चाहे वह भूमि का हो या समुद्र का या वायु का ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

[9][(छ) "प्रादेशिक अधिकारी" से धारा 5 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अपर प्रादेशिक अधिकारी और सहायक प्रादेशिक अधिकारी भी शामिल है ;

(ज) "अधिकरण" से धारा 5घ के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है]

1. इस अधिनियम का विस्तार दादरा और नागर हवेली पर 1963 से विनिमय सं.6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा गोवा,दमन और दीव पर 1963 के विनिमय सं.11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा दिया गया है ।

इस अधिनियम के भाग 1 और भाग 2 जम्मु–क मीर राज्य में ;1.5.1974 सेद्ध प्रवृत्त होंगे । देखिए अधिसूचना सं. सा.का.नि.183 ;अद्ध

तारीख 23.4.1974 ।

2. 1973 के अधिनियम सं.25 की धारा 2 द्वारा जम्मु–क मीर राज्य के सिवाय शब्दों का लोप किया गया ।

3. 1959 के अधिनियम सं.3 की धारा 2 द्वारा भाग ग राज्यों के स्थसान पर प्रतिस्थापित ।

4. 28 जुलाई,1952 सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि1066, तारीख 10 जून 1952, भारत का राजपत्र, भाग 2,

अनुभाग 3 पृष्ठ 945 ।

5. 1973 के अधिनियम सं 25 की धारा 2 द्वारा परन्तुक जोड़ा गया ।

6. 1981 के अधिनियम सं.49 की धारा 2 द्वारा ;1.6.1983 सेद्ध खंड ; खद्ध के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. 1981 के अधिनियम सं.49 की धारा 2 द्वारा ;1.6.1983 सेद्ध अन्तःस्थापित ।

8. 1959 के अधिनियम सं.3 की धारा 3 अन्त स्थापित।

9. 1981 के अधिनियम सं.49 की धारा 2 द्वारा ;1.6.1983 सेद्ध अन्तःस्थापित ।

(भाग 1–प्रारंभिक, भाग 2 – सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन)

[1]**[2क किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मु–कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है या किसी ऐसे कृत्यकारी के प्रति जो उस राज्य में विद्यमान नहीं है ,निर्देशों के अर्थान्वयन**–इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मु–कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है या किसी ऐसे कृत्यकारी के प्रति जो उस राज्य में विद्यमान नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति या उस राज्य में विद्यमान तत्सम कृत्यकारी के प्रति निर्देश है ।]

भाग 2

सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन

[2][3. **फिल्म प्रमाणन बोर्ड**–– (1) फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा [3][फिल्म प्रमाणन बोर्ड] नामक एक बोर्ड गठित कर सकेगी जिसका गठन एक अध्यक्ष तथा [4][कम से कम बारह और अधिक से अधिक पच्चीस] सदस्यों से होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं और अन्य सदस्य बोर्ड के बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करेंगे जो विहित की जाए ।

(3) बोर्ड की सदस्यों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।]

4. फिल्मों का परीक्षण – (1) कोई व्यक्ति,जो किसी फिल्म को प्रदर्शित करना चाहता है, उसकी बावत प्रमाणपत्र के लिए बोर्ड को विहित रीति से आवेदन करेगा और बोर्ड उस फिल्म का विहित रीति से परीक्षण करने या परीक्षण करवाने के पश्चात,–

(i) उस फिल्म को अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा: 5 ***

[6][परन्तु फिल्म की किसी विषय–वस्तु को ध्यान में रखते हुए, यदि बोर्ड की राय में इस बात की चेतावनी देना आव यक है कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को ऐसी फिल्म को देखने के लिए अनुज्ञात किया जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न पर ऐसे बालक के माता–पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए, तो बोर्ड ऐसी फिल्म को उस आशय के पृष्ठांकन सहित अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा ; या]

(ii) उस फिल्म को वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा ; या

[7][iiक) फिल्म की प्रकृति,अर्न्तवस्तु और विषय–वस्तु को ध्यान में रखते हुए ऐसी फिल्म को किसी वृत्ति के सदस्यों या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा; या]

[8][iii) पूर्वगामी खण्डों में से किसी के अधीन फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से पूर्व फिल्म में ऐसी काटछांट या उपान्तर जो वह आवश्यक समझे, करने के लिए आवेदक को निदर्श दे सकेगा ; या]

(iv) उस फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से इन्कार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के [9][खण्ड (i) के परन्तुक,खण्ड (ii) खण्ड (iiक) खण्ड (iii) या खण्ड (iv)] के अधीन बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही आवेदक को उस मामले में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् ही की जाएगी,अन्यथा नही ।

5. सलाहकार पैनेल – (1) बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ऐसे प्रादेशिक केन्द्रों पर जिन्हें वह ठीक समझे सलाहकार पैनल स्थापित कर

सकेगी जिनमें से प्रत्येक में उतने व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति हों जो केन्द्र सरकार के राय में जनता पर फिल्म के प्रभाव को जांचने के लिए अर्हित हों, होंगे जितने केन्द्र सरकार उसमें नियुक्त करना ठीक समझें ।

——

1- **1973 के अधिनियम सं 25 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।**
2- **1959 के अधिनियम सं 3 की धारा 4 द्वारा धारा 3 से धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।**
3- **1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 3 द्वारा (1.6.1983 से)"फिल्म सेंसर बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।**
4- **1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 3 द्वारा (1.6.1983 से)"नौ से अनधिक " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।**
1- **1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 4 द्वारा (1.6.1983 से)"या" शब्द का लोप किया गया ।**
2- **1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 4 द्वारा (1.6.1983 से) परन्तुक जोडा गया।**
3- **1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 4 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।**
4- **1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 4 द्वारा (1.6.1983 से) खंड (iii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।**
5- **1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 4 द्वारा (1.6.1983 से) खंड (ii), खंड (iii) या खंड (iv)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।**

(2) प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्र पर उतने प्रादेशिक अधिकारी होंगे जितने केन्द्र सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और इस निमित्त बनाए गए नियमों में फिल्मों के परीक्षण में प्रादेशिक अधिकारियों के सहयुक्त किए जाने के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा ।

(3) बोर्ड किसी ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है, किसी सलाहकार पैनल से ऐसे रीति से, जो विहित की जाए परामर्श कर सकेगा ।

(4) प्रत्येक ऐसे सलाहकार पैनेल का, चाहे वह निकाय के रूप में या समितियों के रूप में जिनके लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों में उपबन्ध किया जाए,कार्य कर रहा हो,यह कर्तव्य होगा कि वह फिल्म का परीक्षण करें और बोर्ड को ऐसी सिफारिशें करें जो वह ठीक समझें ।,

(5) सलाहकार पैनेल के सदस्य किसी वेतन के हकदार नहीं होंगे किन्तु उन्हें ऐसी फीस या भत्ते प्राप्त होंगे जो विहित किए जाएं ।

5क फिल्मों का प्रमाणन – [1][(1) यदि विहित रीति से किसी फिल्म का परीक्षण करने के पश्चात या उसका परीक्षण कराने के पश्चात बोर्ड यह समझता है कि ––

(क) कोई फिल्म,यथास्थित,अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए या धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के परन्तुक में वर्णित प्रकृति के पृष्ठांकन सहित अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है तो वह उस फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को, यथास्थिति "अ" प्रमाणपत्र या "अव" प्रमाणपत्र देगा; या

(ख) कोई फिल्म, अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन केलिए उपयुक्त नही है, किन्तु केवल वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है या, यथास्थित, किसी वृत्ति के सदस्यों या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्बन्धित प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, तो वह उस फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्ति को, यथास्थिति, "व" प्रमाणपत्र या "विशिष्ट" प्रमाणपत्र देगा;

और उस फिल्म को विहित रीति से इस प्रकार चिह्नित कराएगा ।

परन्तु प्रमाणपत्र का आवेदक, कोई वितरक या प्रदर्शक या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जिसे फिल्म के अधिकार संक्रान्त हो गए है, ऐसी फिल्म में, जिसके लिए खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दण्ड दायी नहीं होंगे ।

(2) किसी फिल्म की बाबत दिया गया प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र देने से इंकार करन वाला आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र भारत में सर्वत्र दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

5ख फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए मार्गदर्शन के सिद्वान्त –– (1) यदि प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में कोई फिल्म या उसका भाग [2][भारत की प्रभुता और अखण्डता] राज्य की सुरक्षा,विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों,लोक व्यवस्था,शिष्टता या नैतिकता कि हित के विरूद्व है या उससे न्यायालय की मानहानि या उसका अवमान होता है अथवा किसी अपराध के किए जाने का उद्दीपन संभाव्य है तो उस फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणित नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्र सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देने में मार्गदर्शन करने वाले सिद्वान्तों को उपवर्णित करते हुए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

[3][**5ग अपीलें**–(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है और जो बोर्ड के –

क. प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने वाले : या

ख. केवल "व" प्रमाणपत्र देने वाले : या

ग. केवल "विशिष्ट" प्रमाणपत्र देने वाले : या

घ. केवल "अव" प्रमाणपत्र देने वाले : या

————————————————————————————————————

1. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 5 द्वारा(1.6.1983 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 6 द्वारा (1.6.1983 से)अन्तःस्थापित ।

3. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 7 द्वारा (1.6.1983 से) धारा 5 ग के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ड.) आवेदक को कोई काट–छांट या उपान्तर करने का निदेश देने वाले,

किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक के कारण पूर्वोक्त तीस दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल करने से निवारित हो गया था,तो वह ऐसी अपील को तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर ग्रहण किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका द्वारा की जाएगी और उसके साथ उस आदेश के जिसके विरूद्व अपील की गई है, संक्षिप्त कारणों का एक कथन, जहां अपीलार्थी को ऐसा कथन दिया गया है, होगा और एक हजार रूपए से अनधिक ऐसी फीस, जो विहित की जाए, होगी।]

[1]{**5घ. अपील अधिकरण का गठन** – (1) धारा 5ग के अधीन बोर्ड के आदेश के विरूद्व अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण का गठन करेगी ।

(2) अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में या ऐसे स्थान पर होगा जो केन्द्र सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,विनिर्दिष्ट करें ।

(3) ऐसे अधिकरण का गठन एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक चार सदस्यों से होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(4) कोई व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नहीं है या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है ।

(5) केन्द्र सरकार, ऐसे व्यक्तियों को जो उसकी राय में जनता पर फिल्मों के प्रभाव को जांचने के लिए अर्ह है,अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(6) अधिकरण के अध्यक्ष को ऐसा वेतन और भत्ते दिए जाऐंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा अवधाकरत किए जाएं और सदस्यों को ऐसे भत्ते या फीस दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(7) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, केन्द्र सरकार,इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों की जो वह आवश्यक समझे नियुक्ति कर सकेगी ।

(8) अधिकरण का सचिव और उसके अन्य कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंग जो अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् विहित किए जाएं।

(9) अधिकरण के अध्यक्ष और उसके सदस्यों तथा सचिव और अन्य कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्त वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(10) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकेगा ।

(11) अधिकरण, मामले में ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आव यक समझे और अपीलार्थी और बोर्ड को उस मामले में सुने जाने का अवसर देने के प चात् फिल्म की बाबत ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे और बोर्ड उस मामले का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा ।

5ड़ प्रमाणपत्र का निलम्बन और प्रतिसंहरण – (1) धारा 6 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगी जो वह ठीक समझे,या ऐसे प्रमाणपत्र को तब प्रतिसंहृत कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि –

(i) वह फिल्म जिसकी बाबत प्रमाणपत्र दिया गया था उस रूप से भिन्न रूप में प्रदर्शित की जा रही थी जिसके लिए उसको प्रमाणित किया गया था ; या

(ii) उस फिल्म या उसके किसी भाग को इस भाग के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबधों के उल्लंघन में प्रदर्शित किया जा रहा है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है, वहां केन्द्र सरकार, प्रमाणपत्र के आवेदक से या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसे फिल्म के अधिकार संक्रांत हो गए है या दोनों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे बोर्ड को या उक्त अधिसूचना में

1- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 8 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।

विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को फिल्म की बाबत दिए गए प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्रों की सभी दूसरी प्रतियां,यदि कोई हों,परिदत्त करें ।

(3) इस धारा के अधीन कोई कारवाई संबंधित व्यक्ति को उस मामले में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देने के प चात् ही की जाएगी,अन्यथा नहीं ।

(4) इस धारा के अधीन कोई प्रमाणपत्र जिस अवधि के लिए निलम्बित किया जाता है उसके दौरान फिल्म अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी।

5च. केन्द्र सरकार द्वारा आदेशों का पुनर्विलोकन – (1) जहां प्रमाणपत्र का कोई आवेदक या कोई अन्य व्यक्ति,जिसे फिल्म के अधिकार संक्रान्त हो गए है, धारा 5 ड़ के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश को व्यथित है वहां वह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन में उन आधारों को उपवर्णित करेगा जिन पर वह ऐसा पुनर्विलोकन आवश्यक समझता है

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रमाणपत्र का आवेदक या कोई अन्य व्यक्ति पर्याप्त हेतुक से पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के भीतर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन फाइल करने से निवारित हो गया था तो वह ऐसे आवेदन को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर फाईल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने विनिश्चय को पृष्टि या उसका उपान्तर करने वाला या उसे उलटने वाला ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझें और बोर्ड उस मामले का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा ।

6. केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति – (1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार [1][स्वप्रेरणा से किसी भी प्रक्रम पर] किसी फिल्म के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी जो बोर्ड के समक्ष लम्बित है या जिसका बोर्ड ने विनिश्चय कर दिया है [2][या,यथास्थिति,अधिकरण ने विनिश्चय कर दिया है (किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो अधिकरण के समक्ष लम्बित है)] और

उस मामले में ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे,उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे और बोर्ड उस मामजे का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा :

परन्तु,यथास्थिति, प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर या ऐसे व्यक्ति पर जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश,उसको उस मामले में अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात ही किया जाएगा,अन्यथा नहीं :

[2][परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह ऐसे किसी तथ्य को प्रकट करे जिसे प्रकट करना वह लोकहित के विरूद्ध समझती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,निदेश दे सकेगी कि,–

(क) कोई फिल्म जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है,सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग में अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी ; या

(ख) कोई फिल्म जिसे "अ" प्रमाणपत्र [2][या "अव" प्रमाणपत्र या "विशेष" प्रमाणपत्र] दिया गया है ऐसी फिल्म समझी जाएगी जिसकी बाबत "व" प्रमाणपत्र दिया गया है या

(ग) किसी फिल्म का प्रदर्शन ऐसी अवधी के लिए निलम्बित कर दिया जाए जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन जारी किया गया कोई निदेश अधिसूचना की तारीख से दो मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी कार्रवाई सम्पूक्त व्यक्ति को उस मामले में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् ही की जाएगी,अन्यथा नहीं ।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन कोई फिल्म जिस अवधि के लिए निलम्बित की जाती है उसके दौरान वह फिल्म अप्रमाणित समझी जाएगी।

————————————————————————————————————

1- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 9 द्वारा (1.6.1983 से) "किसी भी प्रकम पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 9 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।

(भाग 2– सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन)

[1][**6क. प्रमाणित फिल्मों की बाबत जानकारी और दस्तावेजों का वितरकों और प्रदर्शकों को दिया जाना** – कोई व्यक्ति जो किसी वितरक या प्रदर्शक को कोई प्रमाणित फिल्म परिदत्त करता है, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, यथास्थिति, उस वितरक या प्रदर्शक को फिल्म का शीर्षक, उसकी लंबाई उसकी बाबत दिए गए प्रमाणपत्र का संख्यांक और उसकी प्रकृति और वे शर्तें, यदि काई हो,जिनके अधीन रहते हुए वह ऐसे दिया गया है तथा उस फिल्म की बाबत कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाए अधिसूचित करेगा।]

[2]* * * *

7.इस भाग के उल्लंघन के लिए शास्तियां – [3][(1) यदि कोई व्यक्ति,–

(क) किसी स्थान में,–

(i) उस फिल्म से भिन्न कोई फिल्म प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो बोर्ड द्वारा अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन या वयस्कों [4][या किसी वृत्ति के सदस्यों या किसी वर्ग के व्यक्तियों] के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है और जो जब प्रदर्शित की जाए तब बोर्ड के विहित चिन्ह को संप्रदर्शित करती है और जब से उस पर वह चिन्ह लगाया गया है तब से उसमें किसी भी रूप में कोई फेरफार या बिगाड नहीं किया गया है ।

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति को जो वयस्क नहीं है कोई ऐसी फिल्म प्रदर्शित करेगा या प्रर्दशित करने की अनुमति देगा जो बोर्ड द्वारा वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है ; [5]***

[6][(iiक) कोई फिल्म, जो बोर्ड द्वारा किसी वृत्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है, ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा या प्रद ित करने की अनुमति देगा जो ऐसी वृत्ति का सदस्य नहीं है या ऐसे वर्ग का सदस्य नहीं है; या]

(ख) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार उस पर होगा) किसी फिल्म में, उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् किसी भी रूप में फेरफार या बिगाड़ करेगा, या

(ग) धारा 6क के उपबन्ध का या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा केन्द्र सरकार या बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों या कृत्यों में से किसी का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा ।

[7][तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा,या दोनों से और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, बीस हज़ार रूपए तक का हो सकेगा,दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो खंड (क) उपखण्ड (i) के उपबन्धों के उल्लंघन में,कोई वीड़ियो फिल्म किसी स्थान में प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा वह कारावास से,जिसकी अवधी तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से जो बीस हज़ार रूपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दैरान अपराध जारी रहता है, बीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परंतु यह और कि कोई न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में वर्णित किए जाऐंगे,तीन मास से कम की अवधि के कारावास या बीस हज़ार रूपए से कम के जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा :]

[7][परन्तु यह और कि] दण्ड प्रकिया संहिता,1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त करे, इस भाग के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति पर पांच हज़ार रूपए से अधिक के जुर्माने का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगाः

[7][परन्तु यह भी कि] कोई वितरक या प्रदर्शक या किसी चलचित्र गृह का स्वामी या कर्मचारी इस भाग के

अधीन "अव" के रूप में प्रमाणित किसी फिल्म पर चेतावनी के पृष्ठांकन की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए दण्ड का दायी नहीं होगा ।]

———————————————————————————————————

1- 1953 के अधिनियम सं 19 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2- 1984 के अधिनियम सं 56 की धारा 2 द्वारा धारा 6ख का लोप किया गया ।
3- 1953 के अधिनियम सं 19 की धारा 4 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (1)के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 11 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।
5- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 11 द्वारा (1.6.1983 से) "या" शब्द का लोप किया गया ।
6- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 11 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।
7- 1984 के अधिनियम सं 56 की धारा 3 द्वारा (27.08.1984 से)कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 2– सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन)

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी फिल्म के सम्बन्ध में अपने द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है जो इस धारा के अधीन दण्डनीय है तो सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय यह और निदेश दे सकेगा कि वह फिल्म सरकार को समपहृत हो जाएगी ।,

(3) अपने माता–पिता या संरक्षकों के साथ आनेवाले तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों केा किसी ऐसी फिल्म का प्रदर्शन करना जिसकी बाबत "व" प्रमाणपत्र [1][या "विशिष्ट" प्रमाणपत्र या "अव" प्रमाणपत्र]दिया गया है, इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं समझा जाएगा ।

[2][**7क. अभिग्रहण की शक्ति**–– (1) जहां कोई फिल्म जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, प्रदर्शित की जाती है, या वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई कोई फिल्म किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित की जाती है जो वयस्क नहीं है या कोई फिल्म इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में से किसी के या केन्द्रीय सरकार [3][अधिकरण] या बोर्ड द्वारा, अपने को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करते हुए किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में प्रदर्शित की जाती है वहां कोई पुलीस अधिकारी [4] *** किसी ऐसे स्थान में जहां उसके पास या विश्वास करने का कारण है कि वह फिल्म प्रदर्शित की गई है या की जा रही है या उसका प्रदर्शन किया जाना सम्भाव्य है, प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और उस फिल्म का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सभी तलाशियां [5][दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2)]के ऐसे उपबन्धों के अनुसार की जाएगी जो तलाशियों से संबंध रखते है ।

7ख. बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन ––[6][(1)] केन्द्र सरकार,साधारण या विशेष आदश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति,प्राधिकार या अधिकारिता, [7][इस भाग के अधीन फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में]और ऐसी शर्त के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी तथा अध्यक्ष या आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य सदस्य द्वारा की गई बात या कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गई बात या कार्रवाई समझी जाएगी ।

[8][(2) केन्द्र सरकार आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, प्रादेशिक अधिकारियों को अनन्तिम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।]

7ग. परीक्षण के लिए फिल्मों के प्रदर्शन का निदेश देने की शक्ति –– केन्द्र सरकार [9][अधिकरण] या बोर्ड इस अधिनियम द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए किसी फिल्म को अपने समक्ष या अपने द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट [10][किसी व्यक्ति या प्राधिकारी] के समक्ष प्रदर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

7घ. रिक्तियों आदि से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना –– [11][अधिकरण] बोर्ड या किसी सलाहकार पैनेल का कोई कार्य या कार्यवाही,यथास्थिति, [11][अधिकरण] बोर्ड या पैनल में किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी ।

7ड. बोर्ड और सलाहकार पैनेल के सदस्यों का लोक सेवक होना –– [12] [अधिकरण] बोर्ड और सलाहकार पैनल के, सभी सदस्य जब वे इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तान्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता (**1860** का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

7च. विधिक कार्यवाहियों का वर्जन –– कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो [13][केन्द्र सरकार, अधिकरण,बोर्ड या] सलाहकार पैनल अथवा, यथास्थिति, [14][केन्द्र सरकार, अधिकरण,बोर्ड या] सलाहकार पैनल के किसी अधिकारी या सदस्य के विरूद्ध न होगी।]

———————————————————————————————————————

1.1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 11 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।

2.1959 के अधिनियम सं 3 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

3. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 12 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।

4. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 12 द्वारा (1.6.1983 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

5. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 12 द्वारा (1.6.1983 से)"दण्ड प्रकिया संहिता 1898 (1898 का 5)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6.1. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 13 द्वारा (1.6.1983 से) उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्योकित ।

7. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 13 द्वारा (1.6.1983 से) "ऐसे विषयों के संबंध में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

8. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 13 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित ।

9. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 14 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित।

10. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 14 द्वारा (1.6.1983 से) "किसी व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 15 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित।

12. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 16 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित।

13. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 17 द्वारा (1.6.1983 से) "केन्द्र सरकार बोर्ड " के स्थान पर प्रतिस्थापित।

14. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 17 द्वारा (1.6.1983 से) "केन्द्र सरकार बोर्ड या" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 2– सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन । भाग 3 चलचित्रों के प्रदर्शन का विनियमन)

8. नियम बनाने की शक्ति –– (1) केन्द्र सरकार इस भाग के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,बना सकेगी ।

[1][(2) वि ाष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाग डाले बिना इस धारा के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात :–

(क) बोर्ड सदस्यों को संदेय भत्ते या फीसें ;

(ख) बोर्ड के सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) बोर्ड को प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसी रीति जिसमें बोर्ड द्वारा किसी फिल्म का परीक्षण किया जाएगा और उसके लिए लगाए जानेवाले फीसें ;

(घ) फिल्मों के परीक्षण में प्रादेशिक अधिकारियों को सहयोजित किया जाना, वे शर्ते और निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए, प्रादेशिक अधिकारी धारा 7 ख के अधीन अनन्तिम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किए जा सकेंगे ओर ऐसे प्रमाणपत्रों की वैधता की अवधि ;

(ड.) वह रीति जिसमें बोर्ड किसी फिल्म के बारे में किसी सलाहकार पैनेल से परामर्श कर सकेगा ;

(च) सलाहकार पैनेल के सदस्यों को संदेय भत्ते या फीसें ;

(छ) फिल्मों को चिह्नित किया जाना :

(ज) अधिकरण के सदस्यों को संदेय भत्ते या फीसें ;

(झ) अधिकरण के सचिव और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और उनके कर्तव्य :

(ञ) अधिकरण के अध्यक्ष और उसके सदस्यों और सचिव तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते :

(ट) अधिकरण को अपीलार्थी द्वारा किसी अपील की बाबत संदेय फीसें ;

(ठ) वे शर्ते (जिनके अंतर्गत साधारणतया फिल्मों की लंबाई या विशेषकर फिल्मों के किसी वर्ग से संबंधित शर्ते भी शामिल है) जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा या वे परिस्थितियां जिनमें कोई प्रमाणपत्र इन्कार

किया जाएगा

(ङ) कोई अन्य विषय जिनका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किए जा सकेंगे ।

[2][(3) इस भाग के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के प चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष,जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्प चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्प चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा ।]

9. छूट देने की शक्ति – केन्द्र सरकार,लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्ते और निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करे किसी फिल्म या फिल्मों के किसी वर्ग के प्रदर्शन या निर्यात को इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्ही उपबन्धों से छूट[3] दे सकेगी ।

भाग 3

चलचित्रों के प्रदर्शन का विनियमन

10. चलचित्र प्रदर्शनों का अनुज्ञप्त किया जाना – इस भाग में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी चलचित्र के प्रदर्शन, इस भाग के अधीन अनुज्ञप्त स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर नहीं करेगा, या ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा अधिरोपित किन्हीं शर्तों और निर्बन्धनों को अनुपालन करके ही करेगा,अन्यथा नहीं ।

---

1. 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 18 द्वारा ;1.6.1983 से द्ध उपधारा ;2द्ध के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं 25 की धारा 4 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. ऐसी साधारण छूट के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1952, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 1578 से 1581

(भाग 3 – चलचित्रों के प्रदर्शन का विनियमन)

11. अनुज्ञापन प्राधिकारी – इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियां देने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है) जिला मजिस्ट्रेट होगा :

परंतु राज्य सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,किसी संपूर्ण [1][संघ राज्यक्षेत्र] या उसके किसी भाग के लिए ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसे वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, इस भाग के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी नियत कर सकेगी ।

12. अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों पर निर्बन्धन –– अनुज्ञापन प्राधिकारी इस भाग के अधीन तब तक कोई अनुज्ञप्ति नहीं देगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ––

(क) इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है, और

(ख) उस स्थान में जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति दी जानी है, प्रदर्शनों के देखने के लिए उसमें उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरती गई है ।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह प्राधिकारी ठीक समझे तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अवधारित करे, इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियॉ दे सकेगा ।

(3) इस भाग के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऐसे विनि चय से, जिससे अनुज्ञप्ति देने से इन्कार किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए,अपील कर सकेगा और,यथास्थिति, वह राज्य सरकार या अधिकारी उस मामले में ऐसा आद ा कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) केन्द्र सरकार,समय–समय पर सामान्यतया अनुज्ञप्तिधारियों को या विशिष्टतया किसी अनुज्ञप्तिधारी को किसी फिल्म या फिल्मों के किसी वर्ग के प्रदर्शन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए निदेश जारी कर सकेगी,ताकि वैज्ञानिक फिल्मों, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए आशयित फिल्मों,समाचारों तथा सामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्मों,वृत्त चित्रों या देशी फिल्मों को प्रदर्शन का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके और जहां ऐसे कोई निदेश जारी किए गए है वहां वे निदेश ऐसी अतिरिक्त शर्ते और निर्बन्धन समझे जाएंगे जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी गई है ।

13. कतिपय दशाओं में फिल्मों के प्रदर्शन को निलम्बित करने की केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति –– (1) [2][सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग] के संबंध में,यथास्थिति,उप–उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त और अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले जिले के संबंध में जिला मेजिस्ट्रेट,यदि उसकी यह राय है कि वहां जिस फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है उससे शांति भंग होना संभाव्य है तो, आदेश द्वारा, फिल्म का प्रदर्शन निलम्बित कर सकेगा, और ऐसे निलम्बित के दौरान वह फिल्म,यथास्थिति, उस राज्य, भाग या जिले में अप्रमाणित फिल्म समझी,जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदे ा,यथास्थिति, किसी मुख्य आयुक्त या जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो वहां उस आदेश की एक प्रति और उसके लिए कारणों का एक कथन,आदेश करनेवाले व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को तुरन्त भेजा जाएगा और केन्द्र सरकार या तो उस आदेश की पुष्टि कर सकेगी या उसे प्रभावोन्मुख कर सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उसके दिए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि आदेश प्रवृत्त रहना चाहिए तो वह यह निदेश दे सकेगी कि निलम्बन की अवधि को इतनी अतिरिक्त अवधि द्वारा बढ़ाया जाए जितनी वह ठीक समझें ।

14. इस भाग के उल्लंघन के लिए शास्तियां –– यदि इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के या शर्तो और निर्बन्धनों, के जिनके आधार पर या जिनके अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञप्ति इस भाग के अधीन दी गई है, उल्लंघन में, किसी चलचित्र का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा या उसके प्रयोग की अनुज्ञा देगा अथवा किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान को प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्यंक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है एक सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

15. अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत करने की शक्ति –– जहां किसी अनुज्ञप्ति का धारक धारा 7 या धारा 14 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो वहां वह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी ।

————————————————————————————————————

1- 1960 के अधिनियम सं.58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा संपूर्ण "भाग ग राज्य" या उसके किसी भाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2- 1960 के अधिनियम सं.58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा संपूर्ण "भाग ग राज्य या उसके किसी भाग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 3 – चलचित्रों के प्रदर्शन का विनियमन । भाग 4 – निरसन)

16. नियम बनाने की शक्ति –– 1[(1)] केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,––

(क) उन निबन्धनों, भार्तो और निर्बन्धनों, यदि कोई हो, जिनके अधीन रहते हुए इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियां दी

जा सकेगी,विहित करने के लिए :

(ख) लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलचित्र प्रदर्शनों के विनियमन का उपबन्ध करने के लिए :

(ग) उस समय और उन शर्तो को, जिसके भीतर और जिसके अधीन रहते हुए धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन अपील की जा सकेगी, विहित करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

[2][(2) इस भाग के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्प चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा ।

17. छूट देने की शक्ति –– केन्द्र सरकार,लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए,जिन्हें वह अधिरोपित करे, किसी चलचित्र प्रदर्शन को या चलचित्र प्रदर्शनों के किसी वर्ग को इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।

भाग 4

निरसन

18. निरसन –– चलचित्र अधिनियम 1918 (1918 का 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है

परंन्तु यह निरसन भाग क राज्यों और भाग ख राज्यों के सम्बन्ध में केवल वहां तक प्रभावी होगा जहां तक कि उक्त अधिनियम चलचित्र फिल्मों को प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से संबंध रखता है ।

1- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 19 द्वारा (1.6.1983 से) धारा 16 उस की उपधारा 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित।

2- 1981 के अधिनियम सं 49 की धारा 19 द्वारा (1.6.1983 से) अन्तःस्थापित।

3- ऐसी साधारण छूट के लिए, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1954 भाग 2 , अनुभाग 3, पृश्ठ 240 और भारत का राजपत्र (अंग्रेजी),1955 भाग 2, अनुभाग 3 पृश्ठ 310 ।

उद्धेश्यों और कारणों का कथन

चलचित्र अधिनियम,1918 वर्तमान रूप में दो पृथक विशयों अर्थात् (क) फिल्मों के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाने के लिए उपयुक्त होने के बारे में परीक्षण और प्रमाणन और (ख) सिनेमाघरों, जिसके अंतर्गत उसका अनुज्ञापन है, का विनियमन से संबंधित विशय–वस्तु का मिश्रण है। संविधान की सातवीं अनुसूची में "प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी" को संघ सूची की मद 60 में सम्मिलित किया गया है और "सूची 1 की प्रविश्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सिनेमा" को राज्य सूची की प्रविश्टि 33 में सम्मिलित किया गया है। अतः चलचित्र अधिनियम की कुछ धाराएं केन्द्र सरकार से और कुछ धाराएं राज्य सरकार से संबंद्ध है तथा अन्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से संबंद्ध है। अधिनियम की कुछ धाराओं को 1949 में संशोधित किया गया किन्तु केवल "व" और "अ" प्रमाणपत्रों के पुरःस्थापन और सेंसरशिप के केन्द्रीयकरण के लिए । अधिनियम के संबंधित उपबंधों के स्पश्ट सीमांकन के अभाव में, जिनसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का सम्बन्ध है, अधिनियम को प्रशासित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान विधेयक का उद्धेश्य, प्रद ान के लिए फिल्मों की मंजूरी (संघ विशय) से संबंधित उपबंधों, सिनेमाओं के अनुज्ञापन और विनियमन (राज्य विशय) से संबंधित उपबंध से पृथक करते हुए 1949 में यथा संशोधित 1918 के अधिनियम के उपबंधों को पुनः अधिनियमित करके, भ्रान्ति को दूर करना है।

आर.आर दिवाकर

नई दिल्ली

28 मार्च,1951

****